

**कार्यालय प्राचार्य**  
**शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)**  
क्रं./ 5621 /मेन्ट./जीडीसी/2021 रायपुर/दिनांक 1-12-21

**// द्वितीय निविदा सूचना //**

वर्ष 2021-2022 में शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के विभिन्न विभागों में स्थापित Manual Hydraulic डेन्टल चेयरों का वार्षिक रखरखाव (ए.एम.सी.) एवं डेन्टल चेयर पार्ट्स क्रय हेतु मोहरबंद निविदायें, निर्माताओं, डेन्टल चेयर सर्विस प्रोवाइडर तथा उनके अधिकृत विक्रेताओं (Dealers or sub-dealers/Authorized Service Provider, Dental Chair Service Provider) से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के कार्यालय से आवेदन प्रस्तुत कर रुपये 500/- (रुपये पांच सौ मात्र) का प्राचार्य शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नाम से देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा नकद जमा कर प्रकाशन तिथि से दिनांक 17/12/2021 तक कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं, जो वापसी योग्य नहीं है। विवरण निम्नानुसार है-

क्रं.	सामाग्रियों का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित राशि (रु.)	धरोहर राशि (रु.)
1	मैनुअल सुजडेन्ट एवं बेस्टोडेन्ट व अन्य चेयरो का वार्षिक रखरखाव	3.5 लाख रुपये	11000=00
2	डेन्टल चेयर का पार्ट्स (सरल क्रमांक 01 से 55 तक टेन्डर फार्म में विस्तृत उल्लेख)	3 लाख रुपये	10000=00

- 1 निविदा बिक्री की अंतिम तिथि 17/12/2021 समय 5.30 बजे सायंकाल तक
- 2 निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 20/12/2021 समय शाम 5.00 बजे तक
- 3 निविदा खोलने की तिथि 21/12/2021 समय दोपहर 12.00 बजे
- 4 निविदा जमा करने का स्थान शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
- 5 निविदा खोलने का स्थान शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
- 6 निविदा की शेष शर्तें कार्यालय की सूचना पटल एवं विभागीय वेबसाईट [www.govtdentalcollegeraipur.in](http://www.govtdentalcollegeraipur.in) पर भी पढ़ी एवं देखी जा सकेगी।

1-12-2021  
प्राचार्य

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय  
रायपुर (छ0ग0)

// द्वितीय निविदा प्रपत्र //

-----XXX-----

वर्ष 2021-2022 में शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के विभिन्न विभागों में स्थापित डेन्टल चेयरों का वार्षिक रखरखाव एवं डेन्टल चेयर पार्ट्स क्रय किये जाने हेतु निर्माताओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत विक्रेताओं, सर्विस प्रोवाइडर से दो सील बंद लिफाफा 1. सुरक्षा निधि एवं प्री क्वालीफिकेशन बिड 2. प्राइज बिड में द्वितीय निविदा आमंत्रित की जाती है, दो अलग-अलग लिफाफा अ एवं ब में हो। प्री-क्वालीफिकेशन बिड के सफल निविदाकर्ताओं के प्राइज बिड खोले जायेंगे।

**लिफाफा-1 (सुरक्षा निधि एवं प्री क्वालीफिकेशन बिड )**

1. निविदा के साथ रूपये 21000=00 (रु. इक्कीस हजार रूपये मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी बैंक डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नाम देय हो, जमा किया जाना अनिवार्य है।
2. निविदाकर्ता का वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं नवीन सेल्स टेक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट।
3. निविदाकर्ता का पिछले दो वर्षों का टर्न ओव्हर कुल रूपये 10 लाख का, जो सी.ए. अथवा बैंक द्वारा सत्यापित हो संबंधी प्रमाण पत्र।
4. पिछले दो वर्षों में निविदाकर्ता द्वारा किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवा प्रमाण पत्र की जारी आदेश की प्रति या संस्था द्वारा जारी परफारमेंस सर्टिफिकेट।
5. पार्ट्स की दरें भारतीय रूपयों में देने होंगे। जिसमें समस्त करें सम्मिलित होंगी केवल GST ही अलग से दिया जावे।
6. निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार्य (Acceptance of all terms & conditions) संबंधी प्रमाण पत्र।

**लिफाफा-2 (अ) ( प्राइज बिड )**

1. दर, भारतीय रूपये में निम्न प्रारूप में दिया जाये - (AMC/वार्षिक रखरखाव )

क्रमांक	सभी मैनुअल डेन्टल चेयर All Hydraulic/ Manual Chairs	रखरखाव शुल्क	टैक्स % GST	कुल कीमत

**लिफाफा-2 (ब) ( प्राइज बिड )**

1. दर, भारतीय रूपये में निम्न प्रारूप में दिया जाये - डेन्टल चेयर पार्ट्स

क्रमांक	प्रोडक्ट का नाम एवं Specification	निर्माता कंपनी	पेक साइज/पेकिंग /इकाई	बेसिक मूल्य	टैक्स % GST	कुल कीमत

10502  
01/12/2021

## निविदा की शर्तें :-

1. निविदा के प्राप्त दर की वैधता एक वर्ष तक रहेगी जिस हेतु नॉन जूडिशल स्टॉम्प पेपर में इकरारनामा किया जायेगा।
2. वार्षिक रखरखाव हेतु उपलब्ध डेन्टल चेयर लगभग 10 से 12 वर्ष पुराने हो चुके हैं, निविदा हेतु उपरोक्त मैनुअल चेयरों का भौतिक निरीक्षण स्वयं कर दर प्रस्तुत करें।  
**“ जहाँ है जैसा है” के शर्त पर द्वितीय निविदा आमंत्रित है।**
3. वार्षिक रखरखाव का दर चेयरों की वर्तमान स्थिती को देखकर ही उल्लेखित करें।
4. डेन्टल चेयरों के रखरखाव हेतु प्रतिमाह 01 विजिट एवं आपातकालीन स्थिति (दूरभाष) पर बुलाये जाने पर 24 घंटे के भीतर सर्विस देना अनिवार्य होगा।
5. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर को होगा, जिसका कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नहीं है। निविदाकार की कोई भी शर्तें मान्य नहीं की जावेगी। एवं वाद-विवाद की स्थिति में किसी भी कार्यवाही की सुनवाई जिला न्यायालय रायपुर (छ.ग.) के क्षेत्राधिकार में ही मान्य किया जायेगा। उक्त संबंध में इकरारनामा भी प्रस्तुत करना होगा।
6. डेन्टल चेयर निर्माता/अधिकृत विक्रेता को प्राथमिकता दी जायेगी परन्तु न होने की स्थिति में डेन्टल चेयर सर्विस प्रोवाइडर को शामिल किया जा सकता है।
7. वार्षिक रखरखाव का भुगतान 06-06 माह की अवधि में किया जायेगा, प्रथम भुगतान वार्षिक रखरखाव के 06 माह पूर्ण करने के पश्चात् एवं अंतिम भुगतान 01 वर्ष सफलतापूर्वक सेवा प्रदाय किये जाने के पश्चात् किया जायेगा। यदि वार्षिक रखरखाव संतोषप्रद नहीं किये जाने की स्थिती में आदेश निरस्त कर ई.एम.डी. की राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
8. निविदा प्रपत्र प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के कार्यालय से निविदा प्रकाशन तिथि से 17/12/2021 के सायं 5:30 बजे तक आवेदन के साथ रूपये 500/- (रूपये पांच सौ मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट, जो प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के पक्ष में देय हो अथवा नकद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
9. निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20/12/2021 शाम 5:00 बजे तक नियत है। इसके पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

— 1255  
01/12/2021

10. निविदा दिनांक 21/12/2021 को दोपहर 12:00 बजे प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रजबंधा मैदान रायपुर (छ0ग0) में खोला जायेगा। निविदाकार या उनके प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित हो सकते हैं।
11. समस्त क्रय/रखरखाव कार्य की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भंडार क्रय नियम/शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे।
12. प्रदाय किये जाने वाले कन्जुमेबल डेन्टल पार्टस की वारंटी अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
13. आवश्यकता अनुसार डेन्टल चेयर पार्टस का सेम्पल उपलब्ध कराना होगा जिसकी गुणवत्ता एवं उपयुक्तता के आधार पर क्रय की अनुसंधान की जाएगी।
14. प्रदाय की गई पार्टस की गुणवत्ता संतोषप्रद न पाये जाने की स्थिति में उक्त सामाग्री को वापस किया जायेगा जिसके लिये वापसी शुल्क नहीं दिया जायेगा।
15. क्रय किये जाने वाली पार्टस की मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है। क्रय किये जाने वाली पार्टस का आदेश महाविद्यालय की उपयोगिता के आवश्यकता के आधार पर जारी किया जायेगा। पार्टस के आदेश उपरांत 01 माह के भीतर प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा।
16. शर्तों के पालन नहीं किये जाने की स्थिति में या किसी भी विवाद की स्थिति में आदेश निरस्त कर ई.एम.डी. की राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

— 12/12/2021  
प्राचार्य

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय  
रायपुर (छ0ग0)